न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आरएएस

प्रकरण संख्या– 51 / 2022 / आवेदन अ0 धारा 111, 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

नरेन्द्रसिंह पुत्र जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रार्थी / आवेदक

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. अनिता कंवर पुत्री भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. कैलाश कंवर पत्नि भंवरसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. प्रतापसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
5. भंवर कंवर पत्नि बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. भवानीसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
7. मदनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. रतनसिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
9. श्रवणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हीरवास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी
अन्र्तगत धारा 111 व 128 आर. एल. एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल व रतन लाल पलसानिया वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही की गयी।

निर्णय

दिनांक – 26.07.2022

1 आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास भू.अ.नि. क्षैत्र बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर की तन में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

100/1 रकबा 0.05 है. किता एक कुल रकबा 0.05 हैक्टर अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि के एउजोईनिंग पूरब दिशा में अप्रार्थीगण की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 100/2 अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य की सीमा पर पत्थरगढी नहीं की हुयी है। प्रार्थी मौके पर अन्दाज से कायम सीमा पर काबिज है। उक्त प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी के आवेदन पर तहसीलदार महोदय, दांतारामगढ के आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका है तथा अब मौके पर मुताबिक सीमाज्ञान पुख्ता पत्थरगढी होनी है किन्तु अप्रार्थीगण संख्या में अधिक हाने एवं प्रार्थी की भूमि के पूरब दिशा के पडौसी खातेदारान् होने से लाठी के बल पर प्रार्थी की भूमि को हडपने की नियत बना रखी है तथा इसी वजह से आये दिन प्रार्थी की भूमि की सीमा पर हस्तक्षेप करते रहते है जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की उपरोक्त वर्णित भूमियों के मध्य की सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट सींव नींव कायम की जाकर पत्थरगढी न हो जाये तब तक महज काल्पनिक रूप से मौके पर किसी प्रकार का कृत्य कर मौका स्थिति को तब्दिल करने का कोई कानूनी अधिकार अप्रार्थीगण को नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थीगण संख्या में अधिक हाने से लाठी के बल पर प्रार्थी की भूमि की पुख्ता पत्थरगढी न होने का फायदा उठाकर मौका सुरत में तब्दिली करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित भूमियों के मध्य सीमा पर मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट सीमा चिन्ह कायम/पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। तद्हेतु प्रार्थना पत्र बाबत पत्थगढी का संस्थित करना लाजिम हुआ है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर भूमि खसरा नम्बर 100/1 व 100/2 की पत्थरगढी/ पुख्ता सीमा चिन्ह कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना प्राथनीय है।

2 आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। आवेदन पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम हीरवास पटवार हल्का बाज्यावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमान्दी संवत 2076-79 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 100/1 में सहखातेदार प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसका सीमाज्ञान पटवारी हल्का बाज्यावास दिनांक 17.05.2022 को सीमाज्ञान करवाया गया है। अतः प्रार्थी अपनी सहखातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने की अधिकारी है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार योग्य है। अतः आदेश है कि प्रार्थी का आवेदन बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर सीमाज्ञान दिनांक 17.05.2022 के मुताबिक पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थी की आवेदित भूमि पर अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/22

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

(राजेन्द्र कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ